राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(1)राज/वाद/14 जयपुर दिनांक 26-10-2017

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/17 दिनांक 30.08.17 द्वारा द राईट्स ऑफ परसन्स विद डिसएबीलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु सेशन न्यायालय जयपुर महानगर एंव जोधपुर महानगर के अलावा, राज्य के समस्त सेशन न्यायालयों को उनके राजस्व जिले की सीमाओं में अधिकारिता वाला विशिष्ठ न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है।

अतः विधि विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.08.17 के क्रम में द राईट्स ऑफ परसन्स विद डिसएबीलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु विनिर्दिष्ट विशिष्ठ न्यायालय, सेशन न्यायालय जयपुर महानगर एंव जोधपुर महानगर के अलावा राज्य के समस्त सेशन न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त लोक अभियोजक को विशिष्ठ लोक अभियोजक की शक्तियॉ एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर/जिला एंव सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
9. महा निदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
14. समस्त लोक अभियोजक न्यायालय जिला एंव सेशन न्यायाधीश।
15. प्रोग्रामर विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, विधि